

नवभारत

संस्थापक : स्व. रामगोपाल माहेश्वरी

प्रेरणा स्रोत : स्व. प्रफुल्ल माहेश्वरी

आज का विश्व गहराते जलवायु परिवर्तन और बढ़ते प्रदूषण की मार से जूझ रहा है. प्रकृति के संसाधनों का अनुचित दोहन हमारी पृथ्वी को संकट में डाल रहा है. ऐसे समय में जब संकट हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, तो नई पीढ़ी,विशेषकर जेन-जी और मिलेनियल्स (क्रमशः 18 से 25 वर्ष और 25 से 35 वर्ष तक के युवा)ने एक नई जागरूकता और जिम्मेदारी की और कदम बढ़ाया है. यह युवा पीढ़ी न केवल पर्यावरण की चिंता कर रही है, बल्कि हर रोज अपने व्यवहार में उसे प्राथमिकता दे रही है. डेलॉइट ग्लोबल के 2025 के सर्वेक्षण ने यह साबित कर दिया है कि ये युवा जमीन से जुड़ी, होसले से भरी और परिवर्तन के लिए प्रतिबद्ध हैं.

पर्यावरण संरक्षण उनकी भावनात्मक चिंता मात्र नहीं है, बल्कि यह उनका जीवन मूल्य बन चुका है.एक तथ्य यह भी सामने आया है कि करीब 65 फीसद जेन-जी और 63 फीसद मिलेनियल्स पर्यावरण समस्याओं को गंभीरता से देखते हैं. वे जलवायु परिवर्तन के खतरों को

पर्यावरण : युवाओं में बढ़ती जागरूकता सराहनीय

साफ समझते हैं और खुद को समाधान का हिस्सा मानते हैं. शायद इसलिए ही उनकी बड़ी संख्या नौकरी चुनते वक्त कंपनी की पर्यावरण नीति को जांचती है. यह संकेत है कि अब कॉर्पोरेट जगत भी पर्यावरण संरक्षण को अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझ रहा है और इसे व्यापार में सफलता की कुंजी मान रहा है.

यह जागरूकता केवल कार्यक्षेत्र या नौकरी तक सीमित नहीं है. उपभोग की आदतों में भी इन युवाओं ने बड़ा बदलाव लाया है. वे इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड वाहनों को अपनाना चाहते हैं, सौर ऊर्जा की ओर बढ़ रहे हैं और टिकाऊ उत्पादों के लिए अधिक निवेश करने को तय्यर हैं. उनकी यह सोच बताती है कि उनका पर्यावरण संरक्षण कोई दूर की बात नहीं, बल्कि वर्तमान जीवन की जरूरत है. 43 प्रतिशत जेन-जी और 47 प्रतिशत मिलेनियल ऊर्जा की बचत और पानी

संरक्षण में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, जो आश्चर्यजनक है. पर्यावरण के प्रति यह समर्पण नए सामाजिक अनुबंध की शुरुआत है, जो विकास और संरक्षण को विरोधी विचार नहीं, बल्कि परस्पर पूरक मानता है. आज के युवा जानते हैं कि तकनीकी प्रगति और पर्यावरण संरक्षण दोनों साथ-साथ चल सकते हैं. इसी समझ से वे हरित ऊर्जा में निवेश को सफल और रोजगार का नया रास्ता मानते हैं. यह सोच न केवल पृथ्वी को सुरक्षित बनाएगी, बल्कि आर्थिक और सामाजिक प्रगति को भी गति देगी. दरअसल, कार्बन उत्सर्जन कम करना, टिकाऊ कार्यस्थल बनाना, और प्रभावी कदम उठाना अब आवश्यक हो गए हैं.

यह बदलाव किसी बाहरी आंदोलन से नहीं, बल्कि युवाओं की आंतरिक नैतिक प्रेरणा से आ रहा है. वे पर्यावरण को केवल एक विषय के रूप

में नहीं देख रहे, बल्कि वह उनके मूल्य प्रणाली का अभिन्न हिस्सा है. इस नई सोच में पूरी दुनिया के लिए एक संदेश छुपा है कि पृथ्वी को बचाने की सबसे बड़ी आशा अब अंतरराष्ट्रीय संधियों या सरकारी नीतियों में नहीं, बल्कि युवा वर्ग की जागरूकता और प्रतिबद्धता में है. जेन-जी और मिलेनियल पीढ़ी ने साफ कर दिया है कि पर्यावरण संरक्षण सिर्फ एक विकल्प नहीं, जीवन की अनिवार्यता है. उनकी यह जागरूकता और कृत्यों की प्रतिबद्धता एक प्रेरणा है, जो हम सभी को अपने कदम पर्यावरण की ओर बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती है. इसलिए हमें चाहिए कि हम भी नवयुवकों के इस संदेश को समझें, उनका समर्थन करें और अपने छोटे-छोटे प्रयासों से इस धारा को सुरक्षित करें.

पर्यावरण संरक्षण अब केवल एक अभियान नहीं, बल्कि हमारी जिम्मेदारी और पहचान बन गई है. अगर हम सब मिलकर इस नई पीढ़ी के साथ कदम से कदम मिलाएं, तो स्वाभाविक रूप से पृथ्वी का भविष्य सुरक्षित और खुशहाल होगा.

भारत की श्रम संहिताएं



चंद्रजीत बनर्जी

भूमि और श्रम; भारत के विकास हैं— भूमि अवसंरचना और औद्योगिक विकास को गति देती है, जबकि श्रम उत्पादकता और समावेश को बढ़ावा देता है. इस संदर्भ में, भारत की नई श्रम संहिताएं एक परिवर्तनकारी कदम को रेखांकित करती हैं, 29 कानूनों को एक आधुनिक, एकीकृत संरचना में समेकित करती हैं तथा श्रम परिदृश्य में स्पष्टता, एकरूपता और समानता सुनिश्चित करती हैं.

श्रमिकों के लिए, ये संहिताएं मजबूत सामाजिक सुरक्षा, सुरक्षित कार्यस्थल और औपचारिक लाभों तक व्यापक पहुंच की सुविधा प्रदान करती हैं, जबकि व्यवसायों को सरलीकृत अनुपालन, कार्यबल प्रबंधन में लचीलेपन और सभी क्षेत्रों में समान अवसर का लाभ मिलता है. हालाँकि अंतिम प्रभाव कार्यान्वयन की गुणवत्ता पर निर्भर करेगा, लेकिन ये संहिताएं भारत के श्रम बाजार को 21वीं सदी की अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम हैं.

जयपुर में वितरण सेवाओं से लेकर साणंद में तकनीकी भूमिकाओं और गुवाहाटी में निर्माण कार्य तक— विभिन्न क्षेत्रों में भारत के कार्यबल को आकांक्षा

यह सुधार इस विश्वास पर आधारित है कि काम सुरक्षित होगा और उचित भुगतान किया जाएगा; सामाजिक सुरक्षा श्रमिक के साथ बनी रहेगी और अनुपालन इतना सरल होगा कि सभी इसमें भाग ले सकेंगे. इस संरचना के निर्माण के लिए सरकार प्रशंसा की पात्र है. यदि हम इन्हें गति, पारदर्शिता और सहयोग के साथ कार्यान्वयन करते हैं, तो ये संहिताएँ भारत के अगले विकास अध्याय का आधार बन सकती हैं— व्यवसायों के लिए प्रतिस्पर्धा, श्रमिकों के लिए सम्मानजनक कार्य और निवेशकों के लिए पूर्वानुमानित व्यावसायिक वातावरण . यही विकसित भारत का सार है – समावेश के साथ विकास और समृद्धि, जो प्रत्येक श्रमिक तक पहुंचती हो.

एक-जैसी हैं- सुरक्षित कार्य परिस्थितियों तक पहुंच, उचित पारिश्रमिक और दूसरी जगह ले जाने योग्य एवं विश्वसनीय सामाजिक सुरक्षा. श्रमिक चाहे कारखानों में कार्यरत हों या खेतों में, या प्लेटफॉर्म-आधारित सेवाओं से जुड़े हों, वे तीन प्रमुख आश्वासन चाहते हैं— आय स्थिरता, पूर्वानुमानित सामाजिक सुरक्षा और रोजगार में सम्मान. भारत की चार श्रम संहिताएं इस आकांक्षा को जीवंत वास्तविकता में बदलने के उद्देश्य से तैयार की गई हैं, ताकि समता और सुरक्षा के सिद्धांत का कार्य जगत में अंतर्निहित होना सुनिश्चित हो सके. सुधारों के केंद्र में हैं – सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार. लाखों असंगठित, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिक, जो भारत के कार्यबल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, नई व्यवस्था के तहत औपचारिक मान्यता प्राप्त करेंगे और कई सुविधाओं के पात्र बन जायेंगे.

भविष्य निधि, स्वास्थ्य बीमा और

मातृत्व लाभ के प्रावधान अब औपचारिक क्षेत्र के कर्मचारियों तक ही सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि ऐतिहासिक रूप से बहिष्कृत श्रेणियों तक इनका विस्तार हो जाएगा. यह बदलाव, न केवल कमजोर श्रमिकों के लिए सुरक्षा सुविधा को मजबूत करता है, बल्कि उद्यमों को रोजगार को औपचारिक बनाने के परिणामस्वरूप सामाजिक सुरक्षा के समग्र आधार का विस्तार होता है. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 औपचारिक रूप से गिग, प्लेटफॉर्म और असंगठित श्रमिकों को मान्यता देती है तथा केंद्र और राज्यों को उनके लिए समर्पित सामाजिक-सुरक्षा कोष स्थापित करने की सुविधा देती है. एग्रीगेटर्स को टर्नओवर का 1-2 प्रतिशत, भुगतान का अधिकतम 5 प्रतिशत, योगदान करने के लिए बाध्य किया जा सकता है, जो गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लाभों के वित्तपोषण का एक व्यावहारिक तरीका है. आधार—

एलआईसी के अदाणी में निवेश पर सवाल

लाम निजी बीमा कंपनियों की तुलना में एलआईसी पर अधिक विश्वास रखते हैं. 1956 में गठित लाइफ इश्योरेंस कॉर्पोरेशन का उद्देश्य शहरों से लेकर गांव-गांव तक लोगों को जीवन बीमा की सुरक्षा प्रदान करने के अलावा सरकार के लिए पूंजी जुटाना भी था. पहले इस बात को लेकर आपत्ति जताई जाती थी कि जोड़ियम वाले शेयर मार्केट में एलआईसी का पैसा लगाना उसके मूल उ